

तारीख
हुक्म

क्र.सं.

418/2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नारायण v/s रामेश्वर

16.08.2024


पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाड़ा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024 /2211 दिनांक 16.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

ग्राम ईन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाड़ा

1. नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के आराजी नम्बर 920 क्षेत्रफल 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 922/2 रकबा 0.1134 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1766 हैक्टेयर रहेगी।
2. रामेश्वर पुत्र छोगा खाती साकिन भीलवाड़ा खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर. 922 /1 रकबा 0.0889 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलकत्ता
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या
418/2024

पीठासीन अधिकारी:—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.
दायर दिनांक
30.07.2024

निर्णय दिनांक
16.08.2024

नारायण लाल आत्मज श्री केदार लाल लढा निवासी 2 एफ 11 आर सी ब्यास कॉलोनी
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)

— वादी

बनाम
श्री रामेश्वर पुत्र श्री छोगा खाती निवासी ईन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या
। उपस्थित नहीं। प्रकरण में — इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद
निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम
पटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

श्री ईन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाड़ा

नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा साकिन आर0सी0 ब्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के
आराजी नम्बर 920 क्षेत्रफल 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 922/2 रकबा 0.1134 हैक्टेयर
कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.1766 हैक्टेयर रहेगी।

रामेश्वर पुत्र छोगा खाती साकिन भीलवाड़ा खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 922/1 रकबा 0.0889 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल
द्वारा कार्यवाही करें।

A. N. D.
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा